

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ० बजट आवंटन-22/2014 226 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 27-01-2015  
प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, उद्यान,  
बिहार, पटना।

विषय : राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कुल 4073.70 लाख रु० (अनुदान-2548.03 एवं किसान का अंश-1525.67 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 617.85 लाख रु० के अंतर्गत सामान्य के लिए 512.82 लाख रु० (पाँच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार रु० मात्र) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹ 5,12,82,000 (पाँच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1464 दिनांक-26.08.2014 द्वारा राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कुल 4073.70 लाख रु० (अनुदान-2548.03 एवं किसान का अंश-1525.67 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 617.85 लाख रु० के अंतर्गत सामान्य के लिए 512.82 लाख रु० (पाँच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार रु० मात्र) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹ 5,12,82,000 (पाँच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार रु० मात्र) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹ 5,12,82,000 (पाँच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार रु०) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-119-बागवानी तथा वनस्पति फसले-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0101-उद्यान विकास योजना-विपत्र कोड-P2401001190101- राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5026 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे में वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(15/27/01/15)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

226 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 27-01-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभा)

1/15

(15/27/01/15)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

226 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2015

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

226 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2015

: उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

पुष्प

सरकार के संयुक्त सचिव।

सरकार के संयुक्त सचिव।